स्टाफ सर्कुलर नं. 103248-2026 दिनांक: 29.10.2026

प्रति : समस्त शाखाएँ / कार्यालय

विषय : पॉलिसी अवधि 2026-27 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु आईबीए सामूहिक चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पुन: एक बार अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में।

1. बैंक के स्टाफ परिपत्र संख्या 103063-2026 दिनांक 28.09.2026, 103128-2026 दिनांक 06.10.2026 तथा 103212-2026 दिनांक 21.10.2026 के माध्यम से जारी "सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु सामूहिक चिकित्सा बीमा पॉलिसी, पॉलिसी अवधि 01.11.2026 से 31.10.2027" संबंधी निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त परिपत्र संख्या 103212-2026 दिनांक 21.10.2026 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.10.2026 निर्धारित की गई थी।

2. **निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे** सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, पुन: एक बार अवसर प्रदान किया जा रहा है। तदनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने अथवा पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल **दिनांक 30.10.2026 को 14:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा**।

3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए IBA सामूहिक चिकित्सा बीमा पॉलिसी 2026-27 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित पथ पुनः सुविधार्थ उपलब्ध कराया जाता है:

 www.unionbankofindia.co.in → About Us → Human Resources → Information for Retired Staff → Medical Insurance

4. चूंकि यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.11.2026 से प्रभावी चिकित्सा बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है, अतः बीमा प्रीमियम की राशि दिनांक 30.10.2026 को 15:00 बजे तक नामित बैंक खाते से डेबिट कर उसी दिन बीमा कंपनी को प्रेषित कर दी जाएगी, क्योंकि दिनांक 31.10.2026 बीमा कंपनी हेतु अवकाश का दिवस है।

5. यदि नामित खाते में अपर्याप्त शेष राशि होने, खाते के फ्रीज/निष्क्रिय (Dormant)/बंद/अक्रियाशील (Inactive) होने अथवा किसी अन्य कारणवश प्रीमियम की राशि डेबिट नहीं हो पाती है, तो संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनभोगी को उक्त पॉलिसी वर्ष 2026-27 के लिए चिकित्सा बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभों एवं सुविधाओं से वंचित रहने के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

6. स्टाफ परिपत्र संख्या 103063-2026 दिनांक 28.09.2026 एवं 103128-2026 दिनांक 06.10.2026 में उल्लिखित अन्य सभी दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

इस परिपत्र की विषयवस्तु समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के संज्ञान में लायी जाए। सभी शाखाओं/कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस परिपत्र को अपने सूचना-पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली विवरण/प्रक्रिया के बारे में पूर्ण सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक संज्ञान लें तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

एस वी बीजू
मुख्य महाप्रबंधक (मा. स)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
Union Ease NextGen Banking App
Employee Benefits Division,Human Resources Department, Central Office
239, Union Bank Bhavan, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021

Staff Circular No. 103248-2026 Date: 29.10.2026

To: All Branches and Offices

Sub: One-Time Option for Submission of Applications under the Group Medical Insurance Policy for Retired Employees / Family Pensioners for the Policy Period 2026-27

1. Attention is hereby invited to SC 103063-2026 dated 28.09.2026, SC 103128-2026 dated 06.10.2026 & 103212-2026 dated 21.10.2026 on subject "Group Medical Insurance Policy for Retired Employees/ Family Pensioners; Policy Period 01.11.2026 to 31.10.2027". The last date for application, as communicated vide the SC 103212-2026 dated 21.10.2026, was 26.10.2026.

2. Based on requests received from Retired employees/ Family pensioners, a one-time option is being provided to those Retired employees / Family pensioners **who were unable to submit their applications within the stipulated timeline**. Accordingly. the online portal available on Bank's corporate Website for submission of applications or to undertake registration process shall remain available **up to 14:00 hours on 30.10.2026.**

3. The path to be followed for submission of online application for IBA Group Medical Insurance Policy for Retired Employees/ Family Pensioners 2026-27 is hereby provided again for ready reference:

 https://www.unionbankofindia.bank.in → About us → Human Resources → Information for Retired Staff → Medical Insurance

4. Being a time-bound exercise and in order to ensure Medical Insurance coverage for Retired Employees / Family Pensioners with effect from 01.11.2026, the premium amount shall be debited up to 15:00 hours on 30.10.2026 and remitted to the Insurance Company on the same day, as 31.10.2026 is holiday for the Insurance Company.

5. In case, the debit of premium amount fails due to shortage of funds in the mandated account or in event of the mandated account being frozen/ dormant/ closed/ in-active etc. or any other reason, the Insurance coverage to such retired employee/ family pensioner will discontinue and the Bank will not be responsible for non-availability of benefits/ facilities under the Medical Insurance Policy for the policy year 2026-27.

6. All other guidelines contents of the Staff Circular No.103063-2026 dated 28.09.2026 and 103128-2026 dated 06.10.2026 remain unchanged.

 The contents of the circular to be brought to the notice of all Retirees/ Family Pensioners. All branches/ offices are hereby advised to display the content of this circular on their notice boards prominently and provide complete support & guidance to the retired employees/ family pensioners.

 All concerned are requested to take a careful note of the above.

CHIEF GENERAL MANAGER (HR)